Satellite port at Ennore

449. SHRI V. GOPALSAMY:

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a project to establish a satellite port at Ennore for transportation of Coal from TSdcber Coal Fields to the three Thermal Power Plants being set up by the Government of Tamil Nadu is pending with the Ministry of Slurface Transport, even though the project was recommended by ihe Rail India Technical and Engineering Services; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY SURFACE TRANOTORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) Yes Sir. The Tamil Nadu Electricity Board had carried out a feasibility study through M/s RITES in 1986 to establish the least cost mode for coal transportation to the existing and proposed thermal power stations in Tamil Nadu. The most economical mode considered by M/s RITES was the rail-cum-sea mode via Paradip. The proposal requires an investment decision by the Government. It is under consideration.

राजीव गांधी हत्याकांड के संबंध में दूसरा जांच आयोग

450. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वर्गीय राजीव गांधी हत्या कांड की जांच के लिए एक और आयोग गठित करने का विचार रखती है; :

(ख) पहले गठित किए गए आयोग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में जांच कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् । स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के मामले की जांच करने के लिए भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस.ओ. 545(ई) तारीख 23-8-1991 के तहत न्यायमूर्ति श्री एम.सी. जैन की अध्यक्षता में एक और जांच आयोग गठित किया गया है ।

(ख) 24 जून, 1991 को जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 5 के उप-नियम (2) के उप-खण्ड (ख) के अधीन वर्मा जांच आयोग ने एक अधिसूचना जारी की थी । साथ ही नियम 5 के उप नियम(2) के उप-खण्ड (क) के अधीन कुछ व्यक्तियों को भी नोटिस जारी किए गए थे । 12 अगस्त, 1991 को आयोग ने इसके प्रक्रिया विनियम अधिसूचित किया जो वर्मा जांच आयोग (प्रक्रिया विनियम) आदेश, 1991 के नाम से जाना गया । आयोग द्वारा जारी अधिसूचना नोटिसों के उत्तर में शपथ पत्र पर बयान प्राप्त हुए । इन शपथ पत्रों पर कार्रवाई की गई । भविष्य में किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता के बारे में ,सुरक्षा व्यवस्था में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों के विचार जानने के लिए आयोग ने उक्त कुछ व्यक्तियों को भी अनुरोध भेजे ।

(ग) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रस्तुत करने की संभावना है ।

भूमिगत लिट्टे उग्रवादी

451. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लिट्टे उग्रवादी बहुत बड़ी संख्या में तमिलनाडु तथा देश में अन्य भागों में छिपे हुए हैं; और